न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 247 सन 2019

अनवान :—

1. मंगतुराम पुत्र प्रेमदास जाति स्वामी निवासी चैनपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. प्रेमदास उर्फ पेमाराम उर्फ प्रेम पुत्र हरपतराम उर्फ हरपतदास जाति स्वामी निवासी चैनपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर
3. प्रबन्धक भारतीय स्टेट बैक गोरखाना

असल प्रतिवादीगण

4. सतपाल पुत्र प्रेमदास जाति स्वामी निवासी चैनुपरा तहसील नोहर ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :— 01/01/2020

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा चैनपुरा के खाता संख्या 79/77 के कुल 3.9400हैक रोही मौजा मन्दपुरा के खाता संख्या 355/288 के कुल खसरा न0 8.1060हैक भूमि में से 213–3/4 हिस्सा में से 1/3 हिस्सा व रोही मौजा ढाणी रायकान के खाता संख्या 330/333 के खसरा न0 1355/2 की 0.443हैक खसरा न0 1356/2 की 0.190हैक व खसरा न0 1478/2 की 1.770हैक कुल 2.403हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 सें दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा हरपत पुत्र मानदास के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा हरपत पुत्र मानदास के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा हरपत पुत्र मानदास के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 4 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

वादी नाम राजस्व रिकार्ड में प्रेमदास उर्फ पेमाराम उर्फ प्रेम दर्ज है जबकि वादी का सही नाम प्रेमदास पुत्र हरपतराम है व अन्य दस्तावेजात आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र में प्रेमदास दर्ज है संरपच ग्राम पंचायत के अनुसार भी प्रेमदास , पेमाराम , पेम एक ही आदमी है सही नाम प्रेमदास है इसलिये राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम प्रेमदास संशोधन करते हुए वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 4 के बहिब दर्ज करवा पाने के अधिकारी है वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,4 बहिब के खातेदार

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर

काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 , 4 स्वय न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उसके पिता हरपतराम पुत्र मानदास के देहान्त होने पर विरास्तन से प्राप्त हुई है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 , 4 का बराबर का हक हिस्सा है वादी नाम राजस्व रिकार्ड में प्रेमदास उर्फ पेमाराम उर्फ प्रेम दर्ज है जबकि वादी का सही नाम प्रेमदास पुत्र हरपतराम है व अन्य दस्तावेजात आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र में प्रेमदास दर्ज है संरपच ग्राम पंचायत के अनुसार भी प्रेमदास , पेमाराम , पेम एक ही आदमी है सही नाम प्रेमदास है इसलिये राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम प्रेमदास संशोधन करते हुए वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 4 के बहिब राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में इकबाल दावा पेश किया जो तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 5 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चैनपुरा के खाता संख्या 79/77 के कुल 3.9400हैक रोही मौजा मन्दपुरा के खाता संख्या 355/288 के कुल खसरा न0 8.1060हैक भूमि में से 213–3/4 हिस्सा में से 1/3 हिस्सा व रोही मौजा ढाणी रायकान के खाता संख्या 330/333 के खसरा न0 1355/2 की 0.443हैक खसरा न0 1356/2 की 0.190हैक व खसरा न0 1478/2 की 1.770हैक कुल 2.403हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 सें दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा हरपत पुत्र मानदास के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा हरपत पुत्र मानदास के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा हरपत पुत्र मानदास के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 4 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

वादी नाम राजस्व रिकार्ड में प्रेमदास उर्फ पेमाराम उर्फ प्रेम दर्ज है जबकि वादी का सही नाम प्रेमदास पुत्र हरपतराम है व अन्य दस्तावेजात आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र में प्रेमदास दर्ज है संरपच ग्राम पंचायत के अनुसार भी प्रेमदास , पेमाराम , पेम एक ही आदमी है सही नाम प्रेमदास है इसलिये राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम प्रेमदास संशोधन करते हुए वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 4 के बहिब दर्ज करवा पाने के अधिकारी है वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 , 4 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चैनपुरा के खाता संख्या 79/77 के कुल 3.9400हैक रोही मौजा मन्दपुरा के खाता संख्या 355/288 के कुल खसरा न0 8.1060हैक भूमि में से 213–3/4 हिस्सा में से 1/3 हिस्सा व रोही मौजा ढाणी रायकान के खाता संख्या 330/333 के खसरा न0 1355/2 की 0.443हैक खसरा न0 1356/2 की 0.190हैक व खसरा न0 1478/2 की 1.770हैक कुल 2.403हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 सें दर्ज है।

जमाबन्दी सम्वत 2029 से 2038 भु.प्रबन्ध विभाग के अनुसार वाद भूमि हरपत पुत्र मानदास के नाम से दर्ज थी अर्थात वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा हरपत पुत्र मानदास के नाम से दर्ज है वादी के दादा हरपत पुत्र मानदास के देहान्त होने के वाद विरास्तन से वाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है विरास्तन से भूमि वादी के पिता के नाम से दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पति होना साबित है। हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 ,8 के अनुसार पैतृक सम्पति में वादी का हक हिस्सा है अर्थात दादा की सम्पति में पौते/पौतियों को बराबर का हक हिस्सा होगा। अर्थात वाद भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 , 4 बहिब के हकदार है।

वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात आम आदमी का आधार कार्ड , मतदाता फोटो पहचान पत्र पुत्र के पहचान पत्र में भी प्रेमदास दर्ज है जिससे वादी के पिता का सही नाम प्रेमदास होना प्रतित होता है सरंपच ग्राम पंचायत लाखासर के अनुसार भी प्रेमदास , पेमाराम, प्रेम एक ही व्यक्ति के नाम है सही नाम प्रेमदास हे तीन चकों में एक ही काश्तकार के अलग अलग नाम दर्ज किया जाना भी न्यायोचित नही है एवं वादी के पिता का नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन करने से राज्यहकों को कोई प्रभावी नही पडता बल्की राजस्व रिकार्ड ही आदिनांक होता है।

प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,4 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के सामर्थन में ईकबाल भी पेश किया जा चुका है जो तस्दीक किया जाकर शमिल मिसल किया जा चुका है।

वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादी संख्या 1 , 4 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पैरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा ढाणी रायकान के खाता संख्या 330/333 के खसरा न0 1355/2 की 0.443हैक खसरा न0 1356/2 की 0.190हैक व खसरा न0 1478/2 की 1.770हैक कुल 2.403हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 सें दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 4 बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है तथा रोही मौजा चैनपुरा के खाता संख्या 79/77 के कुल 3.9400हैक रोही मौजा मन्दपुरा के खाता संख्या 355/288 के कुल खसरा न0 8.1060हैक भूमि में से 213–3/4 हिस्सा में से 1/3 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम यथावत रहेगी तथा तीनों खातों में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम प्रेमदास , पेमाराम , प्रेम के स्थान पर प्रेमदास संशोधित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 01/01/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. मंगतुराम पुत्र प्रेमदास जाति स्वामी निवासी चैनपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 प्रेमदास उर्फ पेमाराम उर्फ प्रेम पुत्र हरपतराम उर्फ हरपतदास जाति स्वामी निवासी चैनपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर
3. प्रबन्धक भारतीय स्टेट बैक गोरखाना

असल प्रतिवादीगण

4. सतपाल पुत्र प्रेमदास जाति स्वामी निवासी चैनुपरा तहसील नोहर ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 247 सन 2019 निर्णय दिनांक– ०१/०१/2020

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा ढाणी रायकान के खाता संख्या 330/333 के खसरा न0 1355/2 की 0.443हैक खसरा न0 1356/2 की 0.190हैक व खसरा न0 1478/2 की 1.770हैक कुल 2.403हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 सें दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 4 बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है तथा रोही मौजा चैनपुरा के खाता संख्या 79/77 के कुल 3.9400हैक रोही मौजा मन्दपुरा के खाता संख्या 355/288 के कुल खसरा न0 8.1060हैक भूमि में से 213–3/4 हिस्सा में से 1/3 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम यथावत रहेगी तथा तीनों खातों में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम प्रेमदास , पेमाराम , प्रेम के स्थान पर प्रेमदास संशोधित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक ०१/०१/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)